भारत संघ और अन्य

बनाम

जोसेफ पी. चेरियन

26 सितंबर, 2005

**[अरिजित पसायत, न्यायाधीश और सी के ठक्कर, न्यायाधीश]**

सेवा कानूनः

पदोन्नति-सीमा सुरक्षा बल में उप-निरीक्षक का पद- 1995 में 24 रिक्तियों के लिए विभागीय परीक्षा-अनुचित साधनों को अपनाने के आधार पर परिणामों को रद्द करना-1998 में 86 रिक्तियों के लिए नई विभागीय परीक्षा-1998 में उत्पन्न रिक्तियों के संबंध में पिछले परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पद पर पदोन्नति देने के लिए एकल कर्मचारी की याचिका, भले ही बाद में उनके द्वारा परीक्षा नहीं दी गई हो-उच्च न्यायालय द्वारा अनुदान- की संधारणीयता - अभिनिर्धारित: जब पिछली परीक्षा के परिणाम कदाचार के आधार पर रद्द कर दिए गए हैं, तो उक्त परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बाद के वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए एक व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है, वह भी जब वह नई परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए राहत प्रदान करना असंधारणीय और उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द।

सीमा सुरक्षा बल में उप निरीक्षक के ग्रेड में 1995 में, 24 रिक्तियों के संबंध में विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रतिवादी कर्मचारी केन्द्र एस पर उपस्थित हुआ। विभिन्न केंद्रों पर अनुचित साधनों को अपनाने के कारण, सभी केंद्रों का परिणाम रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 1998 में उत्पन्न होने वाली 86 रिक्तियों के लिए नई विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रतिवादी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ और 1998 में उत्पन्न रिक्तियों के संबंध में 1995 में आयोजित विभागीय परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने अन्तरिम राहत दे दी। इसलिए वर्तमान अपील की गई है ।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: परिणाम को रद्द करने के लिए रिट याचिका में कोई चुनौती नहीं थी। उच्च न्यायालय ने स्वयं ध्यान दिया कि एक व्यक्ति की चुनौती के आधार पर इस सवाल की जांच नहीं की गई थी कि क्या परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाना था, फिर भी उसने प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से असंधारणीय निर्देशों के साथ राहत दी। उच्च न्यायालय का यह विचार है कि यदि एक केंद्र पर अनुचित साधनों को अपनाया गया था, तो अन्य केंद्रों के परिणाम को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, पूरी तरह से अरक्षणीय है. कर्मचारी जांच न्यायालय ने एक निष्कर्ष

दर्ज किया है कि केंद्र जे में परीक्षा के संचालन में गंभीर अनियमितताएं थीं और अन्य केंद्रों पर बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों को अपनाया गया था और इस तरह परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। जब 1995 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो प्रतिवादी कर्मचारी के मामले पर उक्त परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बड़े पैमाने पर कदाचार के मामले को देखते हुए व्यक्ति के एक व्यक्ति के मामले की जांच करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे, यह निर्देश कि प्रतिवादी को 86 रिक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा जो उसके द्वारा दी गई परीक्षा के बाद उत्पन्न हुई थी, समान रूप से अरक्षणीय है क्योंकि प्रतिवादी 1998 में आयोजित विभागीय परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए, प्रतिवादी-कर्मचारी को दी गई राहत असंधारणीय है।

बिहार शिक्षा बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा और अन्य, **ए आई आर (1970) एस.सी. 1269**; कृष्ण यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, **ए.आई.आर. (1994) एस.सी. 2166**; पी. ए. रत्नाकर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, **ए.आई.आर. (1996) SC 2523**; केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम अजय कुमार दास और अन्य, **[2002] 4 SCC 503**

और भारत संघ और अन्य बनाम ओ चक्रधर, **ए.आई.आर. (2002) SC 1119**, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 23/1999

(सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14,625/1997 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 5.5.1998 से)

अपीलर्थियों की ओर से अनुव्रत शर्मा, सुश्री सुषमा सूरी और पी. परमेश्वरन

प्रतिवादियों के लिए गुडविल इंडीवर (एन.पी.)

न्यायालय का निर्णय अरिजित पसायत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

सचिव, गृह मंत्रालय  और संघ के अन्य अधिकारियों के माध्यम से भारत संघ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाए हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी (जिसे इसके बाद 'कर्मचारी' के रूप में संदर्भित किया गया है) 24 और 25 जुलाई, 1995 को आयोजित विभागीय परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 1998 में उत्पन्न होने

वाली रिक्तियों के संबंध में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने का हकदार था।

तथ्यात्मक पहलू का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगाः

सीमा सुरक्षा बल में उप निरीक्षक के पद पर 25 प्रतिशत पदों को सहायक उप निरीक्षकों में से भरा जाता है, जिन्होंने कम से कम पांच साल की नियमित सेवा दी है, बशर्ते वे समय-समय पर आयोजित निर्धारित विभागीय परीक्षा में सफल हों। बाकी पदों के लिए पदोन्नति बी विभिन्न चैनलों से दी जाती है, जिनकी वर्तमान विवाद से कोई प्रासंगिकता नहीं है। 24 और 25 जुलाई, 1995 को दस अलग-अलग केंद्रों पर विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी। विभागीय परीक्षा उपनीरक्षिक ग्रेड में मौजूद 24 रिक्तियों के संबंध में ली गई थी। प्रतिवादी कर्मचारी सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) केंद्र पर उपस्थित हुआ। हालांकि, मई 1996 में विभागीय परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं कि विभिन्न केंद्रों में और विशेष रूप से जलंधर केंद्र में कदाचार हुआ था। शिकायत यह थी कि उस केंद्र से उपस्थित होने वाले अधिकांश उम्मीदवार सफल रहे थे। शिकायत पर ध्यान देते हुए कर्मचारी जांच न्यायालय द्वारा जांच की गई और इससे पहले कि सफल उम्मीदवारों की सूची विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जा सके, अपनाए गए अनुचित साधनों के बारे में संतुष्ट होने पर, 10 जुलाई, 1997 के आदेश के

अनुसार विभिन्न केंद्रों पर आयोजित पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वर्ष 1996 में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और वास्तव में, अगली परीक्षा जो दिसंबर, 1997 में आयोजित की जानी थी, अप्रैल, 1998 में आयोजित की गई थी। प्रतिवादी 1998 की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा रिट याचिका दायर की गई इस निर्देश की प्रार्थना के साथ कि उसे विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे में उप निरीक्षक/क्लर्क के रूप में पात्रता प्राप्त होने कि तिथि से पदोन्नत किया जाए।

संघ के पदाधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की गई की पदोन्नति को अंतिम रूप देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित की जाये। उच्च न्यायालय का विचार था कि यदि एक केंद्र के संबंध में कदाचार के आरोप थे तो पूरी परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि, उसका यह विचार था कि चूंकि केवल एक उम्मीदवार ने वैधता और विभागीय परीक्षा परिणाम को प्रभावी नहीं बनाने पर सवाल उठाया था, इस सवाल की जांच करना अनावश्यक था कि क्या सभी केंद्रों के परिणाम रद्द करना न्यायोचित था। हालांकि, उसने रिट याचिका यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुमति दी थी कि प्रतिवादी कर्मचारी सभी आशय उद्देश्यों के लिए जुलाई, 1995 में आयोजित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विचार किए जाने का हकदार था। अधिकारियों को अप्रैल, 1998 में आयोजित परीक्षा कि

योग्यता सूची बनाते समय उन अंकों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार प्रतिवादी कर्मचारी उन 86 रिक्तियों के लिए विचार किए जाने का हकदार था जिनके लिए 1996 में परीक्षा आयोजित की गई थी और ना कि उन 24 रिक्तियों के लिए जो उस समय उपलब्ध थी जब उसने परीक्षा दी थी। उच्च न्यायालय का आगे निर्देश था कि  यदि प्रतिवादी-कर्मचारी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की जाने वाली सूची में पहले 86 के भीतर आता है, और वास्तविक नियुक्तियां उस संख्या तक की जाती हैं तो उसे पदोन्नत किया जाना है।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण बहुत त्रुटिपूर्ण है। परिणामों को रद्द करने के लिए और नई विभागीय परीक्षा के निर्देशों को कोई चुनौती नहीं थी। कदाचार के मामले में, किसी एक व्यक्ति के मामले पर अलग से विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि कानून में एक तय स्थिति है। आगे, 1998 की परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची तैयार करते समय प्रतिवादी-कर्मचारी को जुलाई, 1995 में आयोजित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची में रखने का निर्देश कानूनी रूप से असमर्थनीय है।

जब मामला लिया गया तब प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं होती है।

हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अरक्षणीय है। रिट याचिका में परिणाम को रद्द करने को लेकर कोई चुनौती नहीं थी। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने स्वयं ध्यान दिया कि एक व्यक्ति की चुनौती के आधार पर यह सवाल कि क्या परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाना था की जांच नहीं की गई। इसके बावजूद उसने प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से असंधारणीय निर्देशों के साथ राहत प्रदान की। उच्च न्यायालय का विचार ऐसा प्रतीत होता है कि यदि एक केंद्र पर अनुचित साधन अपनाए गए थे, तो अन्य केंद्रों का परिणाम रद्द नहीं होना चाहिए था। यह पूरी तरह से अरक्षणीय है। स्टाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि जालंधर केंद्र में परीक्षा के संचालन में गंभीर अनियमितताएं थीं और बड़े पैमाने पर अनुचित साधन उपयोग में लिए गए थे।

प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और संचार के आधुनिक साधनों के माध्यम से उनके अन्य केंद्रों के अभ्यर्थियों को सम्प्रेषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इन सभी कारकों के कारण परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। जब 1995 की परीक्षा के परिणाम रद्द कर दिए गए तो प्रतिवादी-कर्मचारी के मामले को उक्त परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विचार किया जाने का सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि निर्णयों की एक लंबी पंक्ति में तय किया गया है, कि बड़े पैमाने पर कदाचार के मामले पर विचार करते समय

एक व्यक्ति के मामले की जांच करने की कोई गुंजाइश नहीं है। (देखें बिहार शिक्षा बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा और अन्य., ए आई आर (1970) एस सी 1269; कृष्ण यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, **ए.आई.आर. (1994) एस.सी. 2166**; पी. ए. रत्नाकर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, **ए.आई.आर. (1996) SC 2523**; केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम अजय कुमार दास और अन्य, **[2002] 4 SCC 503** और भारत संघ और अन्य बनाम ओ चक्रधर, **ए.आई.आर. (2002) SC 1119**, पर भरोसा किया

इसके अलावा यह निर्देश कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी द्वारा दी गई परीक्षा के बाद उत्पन्न हुई 86 रिक्तियों के संबंध में उस पर विचार किया जाएगा, समान रूप से अरक्षणीय निर्देश है। उच्च न्यायालय इस बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलू पर ध्यान देने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी अप्रैल में आयोजित विभागीय परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था।

उपर्युक्त स्थिति होने से, प्रत्यर्थी-कर्मचारी को दी गई राहत असंधारणीय है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपील सफल होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में जिसमें हर्जे खर्चे का कोई आदेश न हो।

एन. जे.

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

**अस्वीकरण** - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।